न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 50/2023

1. सरोज देवी पुत्र शुभकरण जाति जाट निवासी शेखसर तहसील मण्डावा जिला झुझुनू

आवेदक

बनाम

1. भूमि अधिकारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसीलदार मण्डावा

अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

वाद दायरी दिनांकः–10.08.2023

निर्णय दिनांक :–02.01.2025

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया ग्राम शेखसर, तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनूं की निवासी है। प्रार्थीया के पति शुभकरण सिंह का देहान्त दिनाँक 24.10. 2022 को हो चुका है।प्रार्थीया के पति के नाम से ग्राम शेखसर में भूमि खसरा नम्बर 202 तादादी 3.87 है. भूमि अवस्थित है। जिसमें प्रार्थीया के पति शुभकरण का 1/3 हिस्सा है।प्रार्थीया के पति के देहान्त होने पर प्रार्थीया ने जमीन जैर बहस का नामान्तरकरण दुरूस्त करवाने का आवेदन पेश किया तो पटवारी हल्का ने कहा कि जमाबन्दी में शुभकरण नहीं बल्कि सुभाष के नाम से है। इसलिए सुभाष का ही मृत्यु प्रमाण पत्र लाओ तो प्रार्थीया ने राजस्व केम्प में आवेदन पेश किया तो पीठासीन अधिकारी ने कहा कि न्यायालय में आवेदन पेश करने पर ही नाम दुरूस्त होगा।प्रार्थीया के पति का आधार कार्ड, आयकर विभाग का पैन कार्ड व मतदाता सूची में शुभकरण सिंह पुत्र गोविन्दा के नाम से है। मृत्यु प्रमाण पत्र भी शुभकरण सिंह पुत्र गोविन्दा, जाति जाट, निवासी शेखसर के नाम से ही रिकार्ड में दर्ज है।प्रार्थीया के ससुर गोविन्दा के देहान्त होने पर गलती से शुभकरण सिंह की जगह सुभाष का नाम पटवारी हल्का ने दर्ज कर दिया इससे ही सारी परेशानी पैदा हो गयी है।ग्राम शेखसर में शुभकरण सिंह पुत्र गोविन्दा एक ही व्यक्ति है, जो कि राजस्व रिकार्ड में गलती से सुभाष पुत्र गोविन्दा दर्ज हो गया है।अतः आवेदन पत्र मय शपथ पत्र व सुसंगत दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि आवेदन स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खसरा नम्बर 202 तादादी 3.87 है. में सुभाष पुत्र गोविन्दा की जगह शुभकरण सिंह पुत्र गोविन्दा के नाम से दुरूस्त करने का आदेश पारित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी भूमि अधिकारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावा को तलबी नोटिस जारी किये। तहसीलदार मण्डावा द्वारा प्रस्तुत रिकपार्ट के अनुसार प्रार्थिया के पति को सही नाम शुभकरण पुत्र गोविन्दा होना बताया गया। इसलिय प्रार्थिया के पति के नाम शेखसर के खाता सं. 220 के ख.नं. 202 में दर्ज सुभाष पुत्र गोविन्दा के स्थान पर सही नाम शुभकरण का गोविन्दा शुद्व किया जाना उचित है ।

उपखण्ड अधिकारी मण्डावा

हमने पत्रावली का अवलोकन एवं प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया । साक्ष्यों के अनुसार प्रार्थीया के पति का वास्तविक नामशुभकरण पुत्र गोविन्दा है । उपलब्ध साक्ष्य

सबूतों एवं तथ्यों के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः ग्राम शेखसर के खाता संख्या 220 में दर्ज सुभाष पुत्र गोविन्दा का नाम शुद्व कर शुभकरण का गोविन्दा संशोधन करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी,
मण्डावा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा